अनुदान संख्या 66 – अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 66–MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	938,83,00		940,55,00	554,55,67	–385,99,33
पूरक	Supplementary	1,72,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					33,62,87
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			75,00,00	75,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (38599.33 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 172.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.38599.33 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.172.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 41 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2251''	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	576.00	623.36	520.63	–102.73
पू.	S.	77.00			
पु.	R.	–29.64			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes					
मू.	O.	8274.00		7869.47	7546.60	–322.87
पु.	R.	–404.53				
मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	300.00		65.50	. .	–65.50
पु.	R.	–234.50				
मुख्य शीर्ष ''2250'' अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services					
मू.	O.	557.00		598.81	566.90	–31.91
पू.	S.	95.00				
पु.	R.	–53.19				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	8650.00		3500.00	. .	–3500.00
पु.	R.	–5150.00				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	74697.00		77687.72	46630.28	–31057.44
पु.	R.	2990.72				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	829.00			
			347.27	191.26	–156.01
पु.	R.	–481.73			

(I) 10310.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 10100.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.10310.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.10100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' -

(A) Major Head "2225" – "General – Other Expenditure" –

(क) ''एन एम डी एफ सी कार्यक्रमों को लागू करने वाले राज्य प्रणालन अभिकरणों को सहायता अनुदान'' - 450.00 लाख रु. उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Grants-in-aid to State Channelising Agencies (SCA) engaged in implementation of NMDFC Programmes" – Rs.450.00 lakhs – due to non-receipt of utilisation certificates.

(ख) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 450.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(b) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – Rs.450.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Union Territories.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - वक्फों को सहायता अनुदान'' - 300.00 लाख रु. केंद्रीय वक्फ परिषद से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2235" – "Social Welfare – Other Programmes – Grants-in-aid to Wakfs" – Rs.300.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Central Wakf Council.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य व्यय'' -

(C) Major Head "2552" – "General (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Expenditure"-

(क) ''अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता व साधन आधारित छात्रवृत्ति'' - 1250.00 लाख रु.;

(a) "Merit-cum-Means based Scholarship for Professional and technical courses for Minorities"-Rs. 1250.00 lakhs;

(ख) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 5400.00 लाख रु.; और

(ग) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 1000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति'' - 800.00 लाख रु. उत्तर पूर्वी राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान - अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 450.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय'' - 576.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 77.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 653.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 132.37 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यालय के आधुनिकीकरण और डीजी सेटों को लगाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कम निधियों की आवश्यकता होने और चुनाव आचरण संहिता लागू होने की वजह से बैठकें स्थगित किए जाने और विदेशी दौरे आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''अन्य व्यय - अन्य मदें'' - 153.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 178.00 लाख रु. कर दिया

(b) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" - Rs.5400.00 lakhs; and

(c) "Post-Matric Scholarship for Minorities" - Rs. 1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the part amount.

(d) "Pre-Matric scholarship for Minorities"- Rs. 800.00 lakhs- due to non-receipt of proposals from North Eastern States.

(D) Major Head "3602"- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants- Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – Rs.450.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Minority Affairs" – the original provision of Rs.576.00 lakhs was augmented to Rs.653.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.77.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.132.37 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds by Central Public Works Department for modernisation of office and installation of DG sets, postponement of meetings and no foreign tours conducted owing to implementaiton of election code of conduct.

(B) Major Head "2250" – "Other Expenditure – Other Items" – the original provision of Rs.153.00 lakhs was augmented to Rs.178.00 lakhs by obtaining supplementary grant

गया। तथापि, 35.45 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

of Rs.25.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.35.45 lakhs (including supplementary grant) - due to austerity measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2250'' - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' के अंतर्गत 404.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 70.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 474.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, अध्ययन दौरों में कटौती किए जाने और प्रस्तावित वाहन की खरीद न किए जाने के कारण 49.65 लाख रु. की सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2250" – "Other Expenditure – National Commission for Minorities" – the original provision of Rs.404.00 lakhs was augmented to Rs.474.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.70.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.49.65 lakhs - due to curtailment of study tours and non-purchase of proposed vehicle.

(IV) मुख्य शीर्ष "2225'' - "सामान्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और सहबद्ध स्कीमें'' के अंतर्गत 145.81 लाख रु. की बचत (870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से कम/अधूरे प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2225"- "General-Aid to Voluntary Organisations- Coaching and Allied Scheme for Minorities"- saving of Rs.145.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 870.00 lakhs) was due to receipt of less/ incomplete proposals from voluntary organisations.

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)-other grants"- savings occurred under the following heads:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यवसायिक और तकनीकी पाठयक्रमों के लिए योग्यता व साधन आधारित छात्रवृत्ति'' - 4685.50 लाख रु. की बचत (11082.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Merit-cum-Means based Scholarship for Professional and technical courses for Minorities"- saving of Rs.4685.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11082.00 lakhs); and

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 20595.43 लाख रु. की बचत (47680.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of Rs.20595.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.47680.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from State Governments.

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - 937.61 लाख रु. की बचत (7072.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई; और

(C) "Pre-Matric Scholarship for Minorities" – saving of Rs.937.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7072.00 lakhs); and

(घा) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 1833.96 लाख रु. की बचत (8843.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 152.23 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत और 66 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (370.78 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - अल्पसंख्यकों के लिए जनप्रचार अभियान'' के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 344.24 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ।

(D) "Post-Matric Scholarship for Minorities"- saving of Rs.1833.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 8843.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from State Governments.

(VI) Under two heads savings of Rs.152.23 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 49 percent and 66 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.370.78 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2225" - "General - Other Expenditure - Media Campaign for Minorities". Actual excess, however, was Rs.344.24 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	6750.00	7500.00	7500.00	. .
पु.	R.	750.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	750.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–750.00			

(I) 750.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 750.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "General (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) –Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - 750.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were offset by excess under Major Head "4225"- "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - excess of Rs.750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6750.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.